

(5)

मध्य प्रदेश शासन
रकूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 113, 1067/2017/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 02/06/2017

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत।

राज्य शासन एतद् व्यारा मां कल्पवल्ली कल्याण सेवा समिति बुधनी, जिला सीहोर व्यारा संचालित अशासकीय संस्था-भारती विद्या मंटिर स्कूल, नयागाँव रोड रेहटी, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं रथापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में ५०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाय।
- (2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन युविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाय।
- (3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग व्यारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड रो सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यगिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (5) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में ५०प्र० शाराब, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
- (6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।

विरक्तर..2

Venka
DIRECTOR
BHARTI VIDYA MANDIR
REHTI (M.P.)

Y
PRINCIPAL
BHARTI VIDYA MANDIR
REHTI (M.P.)

- (7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी विराम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क व्यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुरतके एवं लोखन सामग्री खुले बाजार से क्य करने की सुविधा रहेगी। किरी दुवजन विशेष से क्य करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में मान0 उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये विर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले विर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं यापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किरी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि से रांचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को ऐम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इव्वगर गही करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि रिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा राकेगी।
- (12) संस्था के पुरतकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुरतकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुरतकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशनुसार,


(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

म0प्र0शासन, रक्षा शिक्षा विभाग

भोपाल, दि02/06/2017

पृ0 क्रमांक 114/1067/2017/20-3

प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग भोपाल, म0प्र0

विरक्तर..3



113//

- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीहोर, म0प्र0
(5) निज सहायक, मान0 मंत्री, रकूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
✓ (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-भारती विद्या मंदिर रकूल, नयागाँव रोड रेहटी,
तह0 बुधनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
(7) फोल्डर प्रति
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मृका.

उप सचिव

म0प्र0शासन, रकूल शिक्षा विभाग

Venayak

DIRECTOR
BHARTI VIDYA MANDIR
REHTI (M.P.)


PRINCIPAL
BHARTI VIDYA MANDIR
REHTI (M.P.)